



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श10)

(सं0 पटना 562) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून 2017

एस० ओ० 101 दिनांक 29 जून 2017—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-50 की उप-धारा (1) एवं उपधारा (3), धारा-54 की उप-धारा (12) एवं धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार माल और सेवा कर परिषद की अनुशंसा पर एतद द्वारा निम्नलिखित तालिका के कॉलम 2 में विनिर्दिष्ट धाराओं के उद्देश्य से इस तालिका के उनके सामने कॉलम 3 में उल्लेखित वार्षिक सूद की दर नियत करते हैं :-

तालिका

क्रम संख्या	धारा	सूद की दर
(1)	(2)	(3)
1	धारा 50 की उप-धारा (1)	18 प्रतिशत
2	धारा 50 की उप-धारा (3)	24 प्रतिशत
3	धारा 54 की उप-धारा (12)	6 प्रतिशत
4	धारा 56	6 प्रतिशत
5	धारा 56 का परन्तुक	9 प्रतिशत

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-2206)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 102, एस०ओ० 101 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-2206)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
सुजाता चतुर्वेदी,  
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 29th June 2017*

S.O. 101 dated 29<sup>th</sup> June 2017-In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 50, sub-section (12) of section 54 and section 56 of Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar on the recommendations of the Council, hereby fixes the rate of interest per annum for the purposes of the sections as specified in column (2) of the Table below as mentioned in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

**Table**

<b>Serial Number</b>	<b>Section</b>	<b>Rate of interest</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
1.	sub-section (1) of section 50	18 Percent
2.	sub-section (3) of section 50	24 Percent
3.	sub-section (12) of section 54	6 Percent
4.	section 56	6 Percent
5.	proviso to section 56	9 Percent

2. This notification shall come into force from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017- 2206)]

By the order of Governor of Bihar,  
SUJATA CHATURVEDI,  
Commissioner-cum-Principal Secretary,  
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,  
बिहार गजट (असाधारण)546-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>